दिनांकः—06.04.2022

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल में

रिट याचिका (एम./एस.) संख्या— 150/2021

रीबा खान याचिकाकर्ता

बनाम।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य उत्तरदाता

अधिवक्ताः श्री एस.आर.एस. गिल, वकील, याचिकाकर्ता के लिए

श्री शशांक उपाध्याय, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, के द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वह जूनियर हाई स्कूल, ठाकुर द्वारा की छात्रा थी, जिसने अपनी हाई स्कूल परीक्षा दी थी, जो सीबीएसई बोर्ड, देहरादून द्वारा आयोजित की गई थी, और उसकी परीक्षा लेने से पहले, याचिकाकर्ता के माता—पिता ने उसकी जन्म तिथि में सुधार के उद्देश्य से संबंधित स्कूल के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जैसा कि उस पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अनुसार 3 जनवरी 2003 को पैदा होने का आरोप लगाया गया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया था।

2. परीक्षा 2020 में आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब उसे मार्कशीट मिली थी, तो यह पहली बार परिलक्षित हुआ था, कि उसकी जन्मतिथि 8 मार्च 2005 थी, जो उसके अनुसार, एक गलत जन्म तिथि थी, जिसे स्कूल अधिकारियों की गलतियों के कारण और पूर्वोक्त असावधानी के कारण दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने संबंधित स्कूल के समक्ष 17 अगस्त 2020 को एक आवेदन दायर किया था, जिसे बाद में

प्रतिवादी नंबर–2 द्वारा प्रतिवादी नंबर–1 को भेज दिया गया था, जिससे कि सीबीएसई बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में आवश्यक सुधार किया जाये।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि 9 सितंबर 2020 के आक्षेपित संचार के आधार पर, प्रस्ताव और सिफारिश, जैसा कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में सुधार के लिए संस्थान द्वारा किया गया था, सीबीएसई बोर्ड द्वारा खंड 69.1/69.2 में निहित उपनियमों के निहितार्थ के आधार पर करने से इनकार कर दिया गया है और इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि उपनियमों को दृष्टिगत रखा जाता है, विशेष रूप से, उपनियमों के खंड (9) का उल्लेख करते समय, वास्तव में, परिवर्तन, जो इसमें अनुमेय थे, केवल एक उम्मीदवार के 'नाम' या 'उपनाम' के परिवर्तन तक सीमित हैं, जिसने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, उसी को लेने की अनुमति है और ऐसी स्थिति में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क दिया है कि वास्तव में किसी भी परिस्थिति में जन्म तिथि, जो किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा अपरिवर्तनीय है, को सही करने के लिए संस्थान के समक्ष आवेदन दायर करके सही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्कूल रिकॉर्ड में या सीबीएसई बोर्ड के समक्ष भी उस मामले के लिए दर्ज किया गया है, क्योंकि सीबीएसई द्वारा लागू उप–कानूनों के दायरे में भी इसकी अनुमति नहीं होगी।

5. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के सर्मथन में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ने 2011 के प्रमुख सिविल अपील संख्या 3905, जिज्ञा यादव (नाबालिग) (अभिभावक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य, के माध्यम से)** के साथ **सिविल अपीलों के एक समूह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 जून 2021** को दिए गए एक हालिया फैसले पर बल दिया गया। उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा

विशेष रूप से इस न्यायालय का ध्यान उक्त फैसले के पैरा 146 की सामग्री की ओर आकर्षित किया था, जिसमें यह देखा गया है कि नाम या जन्म तिथि प्रमाण पत्र के सुधार में बदलाव के लिए कड़ी शर्तें होनी चाहिए, जो लागू होने पर और उपरोक्त दो पहलुओं को बदलने के लिए पालन की जानी आवश्यक है, लेकिन उक्त निर्णय के पैरा 146 में निर्धारित अनुपात पर विचार करते हुए, जो जन्म तिथि में सुधार से संबंधित है, यह निर्धारित किया गया था कि वास्तव में बोर्ड द्वारा लागू किए गए जन्म तिथि के सुधार, हेतु ''परिवर्तन'' शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है और जन्म तिथि को सही करने के प्रयोजनों के लिए इसकी प्रयोज्यता में विस्तारित नहीं किया जा सकता है। स्कूल के रिकॉर्ड में पहले से ही जो दर्ज किया गया है, उसके विपरीत और इसलिए यह देखा गया कि उक्त सुधार केवल बोर्ड द्वारा या स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय से माफ किया जा सकता है और इसे उस व्यक्ति की पसंद के आधार पर नई तारीख के साथ बदला या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, जो सुधार के लिए आवेदन करता है। उक्त निर्णय का पैरा 146 इस प्रकार है :–

> ***''146. इसी तरह का प्रावधान जन्म तिथि में ''सुधार'' के लिए उपलब्ध है, या तो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर या अदालत के आदेश के आधार पर। ''परिवर्तन'' शब्द का उपयोग जन्म तिथि के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम के विपरीत, जन्म की केवल एक तारीख हो सकती है और इसे स्कूल रिकॉर्ड या अदालत के आदेश के अनुरूप बनाने के लिए केवल एक सुधार हो सकता है। इसे किसी की पसंद की नई तारीख के साथ पूर्व को बदलने के लिए नहीं बदला जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए, जन्म तिथि में सुधार से संबंधित प्रावधान और नाम उचित और उचित हैं और सुधार की स्वीकार्यता पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। सीमा अवधि के बारे में प्रतिबंध की जांच बाद में अन्य प्रावधानों के साथ की जाएगी।***

6. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 156 में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया है, जिसमें यह प्रावधानित

किया गया है कि यद्यपि उप–नियम जन्म तिथि में सुधार की अनुमति देने वाले पहलू के संबंध में चुप हो सकते हैं, लेकिन उस पहलू पर उपनियमों की चुप्पी सक्षम सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को उस पहलू में प्रवेश करने और सबूतों की सराहना के आधार पर न्यायिक निष्कर्ष पर पहुंचने के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं करेगी, कि वास्तविक जन्म तिथि क्या होगी, जिसे केवल साक्ष्य की सराहना के बाद निर्धारित किया जा सकता है और यह केवल नियमित सिविल कोर्ट के फैसले से ही किया जा सकता है। जब निर्णय दिया जाता है तो यह सार्वजनिक डोमेन के भीतर एक घोषणा होगी, जिसके आधार पर, सुधार आवेदन को बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए रखा जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा 156 इस प्रकार है :–

"जब कोई छात्र पूर्व अनुमति और या घोषणा के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो अदालत एक जांच करेगी जिसमें कानूनी धारणा सार्वजनिक दस्तावेज (दस्तावेजों) के पक्ष में काम करेगी और परिवर्तन का विरोध करने वाली पार्टी पर बोझ डाल दिया जाएगा ताकि अनुमान का खंडन किया जा सके या किसी अन्य आधार पर दावे का विरोध किया जा सके। दस्तावेज की विषय–वस्तु सहित उसकी वास्तविकता के प्रश्न पर उसी जांच में निर्णय लिया जाएगा और न्यायालय केवल आधिकारिक रिकॉर्ड को सत्यापित करने और इसकी वास्तविकता से संतुष्ट होने पर वांछित परिवर्तन की अनुमति देगा। उसी समय, अनुरोधित परिवर्तनों की न्यायसंगतता के सवाल पर विचार किया जाएगा और केवल छात्र द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता से संतुष्ट होने पर, न्यायालय अपनी अनुमति देगा। इसके बाद उक्त अनुमति को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति और अपेक्षित (निर्धारित) शुल्क (यदि कोई हो) के साथ बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है। तब बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं होगा आगे की जांच करने के लिए और न ही आगे किसी सत्यापन अभ्यास में प्रवेश करने की आवश्यकता होगी।

7. चूंकि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सीधे लागू होता है, जहां याचिकाकर्ता ने जन्म तिथि में सुधार की मांग की है, जो स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी, साथ ही बोर्ड के साथ दर्ज की गई थी और चूंकि उपरोक्त संदर्भित निर्णय, बोर्ड के रिकॉर्ड के संबंध में मांगे गए सुधार से संबंधित है, याचिकाकर्ता का मामला उक्त फैसले के पैरा 156 में निर्धारित मापदंडों के तहत विचार के लिए आएगा, और यदि सुधार केवल लाया जा सकता है, तो इसे नियमित सिविल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा के लिए एक मुकदमे के माध्यम से लाया जा सकता है।

8. अतः ऐसी परिस्थिति में, इस रिट याचिका को खारिज किया जा रहा है याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 156 के अनुसार, जन्म तिथि में सुधार की घोषणा की डिक्री प्रदान करने के लिए एक नियमित सिविल वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है और फिर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर सकती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
06.04.2022

महेद्र